राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	678/2025, 677/2025, 599/2023 छाजूराम बनाम भोमाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 678/2025,677/2025 एवं 599/2023 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है | अधिवक्ता उभयपक्ष की इकजाई मौखिक बहस तीनो अपील पत्रावलीयो पर सुनी गयी | पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/03/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
04/03/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/05/2018 पारित करते हुये तहसीलदार बस्सी को विवादग्रस्त आराजी का मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने एवं आने-जाने हेतु रास्ते को ध्यान में रखते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23/08/2022 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/05/2018 के विरुद्ध अपील संख्या 678/2025 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23/08/2022 के विरुद्ध अपील संख्या 677/2025 एवं प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 599/2023 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष कि इकजाई मौखिक बहस तीनो अपीलों पर सुनी गयी | चूँकि तीनो अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे अधिवक्ता उभयपक्ष इकजाई रूप से मौखिक बहस तीनो अपीलों पर सुनी गयी | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से तीनो अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण हेतु आवश्यक विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना किये बगैर ही अपीलाधीन प्राथमिक व अन्तिम निर्णय व डिक्रीये पारित करने में विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटी कारित राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	677/2025, 678/2025, 599/2023 छाजूराम बनाम भोमाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की गयी है, जो उचित प्रतीत नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत थी, ऐसी स्थिति में साक्ष्य पूर्ण कर अथवा साक्ष्य का अवसर बन्द कर अग्रिम कार्यवाही की जानी आवश्यक थी तथा जब अधीनस्थ नयली द्वारा धारा 10 के तहत दो वादों को हमफिता किया गया तो उन्हें विधिवत प्राथमिक डिक्री के सन्दर्भ में भी आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक था, परन्तु ऐसा नही कर वाद में विधिक प्रक्रियाओ के विपरित अग्रिम कार्यवाही करते हुये उसे निस्तारित किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी कारित किया जाना स्पष्ट होता है। ऐसेमें अपीले प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/05/2018 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23/08/2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद के निस्तारण हेतु आवश्यक विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान अपीलार्थी के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुये पुन: कुर्रेजात रिपोर्ट तलब कर पक्षकारान से आपत्तियां प्राप्त कर, प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्रीये पुन: पारित करते हुये वाद का निस्तारण करे। तदनुसार अपील संख्या 678/2025,677/2025 एवं 599/2023 स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर